ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पचांयत ब्रेही में निम्नलिखित प्रधान, सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री फलातू राम	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं

का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	पैरा स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	8.2	बिना M (XY) फॉर्म के क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की वित्तीय हानि बारे :-	2.10
02.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि :-	1.45
03.	8.4	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० (TDS) की कटौती न करने के कारण सरकार को वित्तीय हानि :-	0.09
04.	9.1	औपचारिकताओं को पूरा किये बिना ही स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय करना :-	6.17
05.	9.3	निर्माण कार्य के दौरान शेष बची सामग्री का सम्भावित दुरूपयोग करने बारे :-	0.11
06.	9.4	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत लाभार्थी शेयर की कम कटौती करने बारे :-	1.95
07.	9.6	क्रय स्टोर/स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना (स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना :-	14.02

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11-03-2024 से 18-03-2024 तक ग्राम पंचायत ब्रेही के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	02/2022	07/2021
2.	2022-2023	10/2022	05/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क **₹5600/-** आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/13 दिनांक 18-03-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत ब्रेही द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत ब्रेही के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है: -

1. स्व-स्त्रोत (3RD/5TH State FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	838364.54	341811.00	1180175.54	211471.00	968704.54
2022-23	968704.54	452082.00	1420786.54	310708.00	1110078.54

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-2022	2418479.66	17511764.70	19930244.36	16565084.30	3365160.06
2022-2023	3365160.06	22560173.47	25925333.53	23416658.27	2508675.26

नोट: उपरोक्त स्व:-स्त्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.3 पर देखें) जिससे कि उक्त स्व-स्त्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) **₹1110078.54** + **₹2508675.26** = **₹3618753.80**

(ब) ग्राम पचांयत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र०स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	50100312828580	HDFC Chamba	**1629716.30**
2.	14वां वित्तायोग	11910110063750	UCO Bank Gehra	**34528.63**
3.	SBM	11910110078785	UCO Bank Gehra	**112.35**
4.	IWMP	11910110041260	UCO Bank Gehra	**00**
5.	WDF	11910110078815	UCO Bank Gehra	**136803.14**
6.	BRGF	11910110017920	UCO Bank Gehra	**00**
7.		00000030878024666	SBI Mehla	**2341.25**

8.	Mid Himalaya	11910110051269	UCO Bank Gehra	**21770.00**
9.	General BASP /VKVNY/SDP/ MPLAD Etc.	11910110095423	UCO Bank Gehra	**711009.56**
10.		00000011753195434	SBI Mehla	**1554.08**
11.		11910100000066	UCO Bank Gehra	**53109.85**
12.	RGSA	20110103551	HPSCB Dharwala	**27278.00**
13.	Sabha Nidhi/ 3rd State	17910107062	HPSCB Chamba	**1112034.54**
			Cash in hand	**00**
			TOTAL	**₹3730257.70**

अन्तर (ब-अ) ₹3730257.70 - ₹3618753.80 = ₹111503.90

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.12 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत ब्रेही द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹111503.70 का अन्तर रोकड़वही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹25.08 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिंनाक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹2508675.26 की राशि (रोकड़वही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितिता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 16-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन

प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.54 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत ब्रेही के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹153895/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	145720	654	25	16350	162070	0	162070
2022-23	162070	673	25	16825	178895	25000	153895

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 18-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹2575/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	**कुल पंजीकृत विवाह**	**APL/Rate**		**राशि**	**BPL/Rate**		**राशि**	**कुल राशि सामान्य व BPL**
		Without late fee	**With Late Fee**		**Without late fee**	**With Late Fee**		
2021-22	27	04@200	-	800	23@25	-	575	1375
2022-23	20	04@200	-	800	16@25	-	400	1200
कुल योग	**47**	**08@200**		**1600**	**39@25**		**975**	**2575**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-12 दिनांक 18-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत ब्रेही के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 16-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹2.10 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बन्धित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अत्तिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर

इत्यादि की आपूर्ति ली गई है । जिससे कि न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनाधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹210291/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है ।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है । इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के पत्र संख्या Ind-II(F)6-14/2014-Vol-1 दिनांक 10-02-2022 के अंतर्गत नियम 81A की प्रविष्टि के तहत खनन पट्टा धारक न होने की स्थिति में रॉयल्टी की राशि का 25% जुर्माना का भुगतान भी करना होगा ।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/04 दिनांक 15-03-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया । जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, अंकेक्षण अवधि में नियमों की जानकारी न होने के अभाव में न तो रॉयल्टी की कटौती की गई एवं न ही M फॉर्म लिए गए लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 से रॉयल्टी की कटौती की गई है जिसे पंचायत निधि के खाते में ही रखा गया है ।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है । यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है । अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये ।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹1.45 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे:-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत ब्रेही के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹3046566/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है ।) किया गया था परन्तु उक्त आपूर्तिकर्ताओं के GST संख्या के अवलोकन में पाया गया कि उक्त फर्में रेत, बजरी एवं पत्थर के व्यवसाय हेतु अधिकृत नहीं है । लेकिन उक्त फर्मों द्वारा न केवल उक्त सामान की आपूर्ति की गई अपितु इनसे वस्तु एवं सेवा कर की कटौती भी

की गई है एवं यह बिल प्रापर/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल परफोर्मा बिल है जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹145075/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है। (Key Documents Raugh Sheets P-27-35)

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 15-03-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित किया कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत से सामग्रियों पर GST ले लिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित नयोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹9320 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है, तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्त्रोत पर कर (TDS) व्यक्ति की दशा में 1% तथा फर्म की दशा में 2% आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि

को जमा करवाएगा एवं वस्तु व सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51(1) के अंतर्गत TDS की कटौती करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत ब्रेही के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार राशि ₹465992/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹9320/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

क्रम/ अनुदान	**वाउचर / वर्ष**	**सामग्री**	**आपूर्तिकर्ता**	**राशि**	**देय आय से % TDS @ 2**
1.14th FC	02 & 03/ 19-03-22	PVC Work with Labour	M/S Krishan Interiors , VPO Sarol, Chamba	105000	2100
2.IWMP	29 To 39/ 28-10-22	Shuttering on rent	M/S Suresh Kumar PO Brehi, Chamba	45000	900
3.IWMP	40 To 57/ 28-10-22	Shuttering on rent	M/S Suresh Kumar PO Brehi, Chamba 50/feet	63450	1269
4.SDP	27/ 23-09-22	Fabricated MS Bridge	M/S Gyami Enterprises,Parel Chamba	252542	5051
			कुल योग	**₹465992**	**₹9320**

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 व 08 दिनांक 15-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करने एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में नियमित तौर पर कटौती की जायेगी।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर एवं GST अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित

माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर राशि ₹13.46 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत ब्रेही की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर निम्न विवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्र०सं०/अनुदान	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि (₹)	टिप्पणी
1.14th FC 23-2022	कार्य:कंक्रीट एवं टाइल वर्क पंचायत घर	246000	UC, Estimate Work Order and Technical sanction order
.2 15th FC 23-2022	कार्य : रास्ता निर्माण डुग मोड़ से लमडल	400000	MB,UC, Estimate Work Order and Technical sanction order
3. IWMP	कार्य: क्रेट वर्क बटनू नाला	200000	do
4SDP.	कार्य : सामुदायिक भवन अन्द्रौद	500000	do
	कुल योग	**₹1346000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 16-03-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि,उक्त कार्यो क्रमांक 2 व 4 के समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड कार्यालय में पड़े है जिससे कि इन्हें अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है एवं क्रमांक 1 व 3 के अभिलेख पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ₹6.17 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताएं यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग,अनुबंध सूची,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत ब्रेही द्वारा राशि ₹617490/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 15-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा, उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना

सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 निर्माण कार्य के अंतर्गत मूल्यांकन मूल्य से अधिक राशि का भुगतान करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा SDP अनुदान के तहत करवाए गए कार्य पक्का पाथ ब्रेही की मापन पुस्तिका 17006 पृष्ठ संख्या 22 के अनुसार कुल मूल्यांकन राशि ₹25422 थी, परन्तु मस्टरोल संख्या 26143 में राशि ₹26280 का भुगतान किया गया था जिस कारण से कुल (26280-25422) राशि ₹858 का अधिक भुगतान किया गया।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 15-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अत: उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में शीघ्र जमा करवा दी जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की पंचायत स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 निर्माण सामग्री क्रय के दौरान बची हुई शेष सामग्री राशि ₹0.11 लाख का सम्भावित दुरूपयोग करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा SDP के अंतर्गत कार्य पुली निर्माण कुन्हा में करवाया गया एवं इस कार्य हेतु फैब्रिकेटेड MS स्टील ब्रिज 2134

कि०ग्रा० का क्रय किया गया था उक्त कार्य की मापन पुस्तिका संख्या 17006 पृष्ठ संख्या 86-88 में कुल खपत 2051.91 कि०ग्रा० की हुई इस प्रकार शेष बची स्टील 82.09 कि०ग्रा०(2134-2051.91) को न तो स्टॉक में बकाया शेष दर्शाया गया और न ही इसकी आगे कोई खपत दिखाई गई। जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 15-03-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि पंचायत स्तर पर मामले की छानबीन उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: उक्त प्रकरण में बची हुई स्टील 82.09 कि०ग्रा० की खपत या स्टॉक दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा उक्त समाग्री की राशि ₹11463 (82.09@139.64) की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाई जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की पंचायत स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत लाभार्थी शेयर राशि ₹1.95 लाख की कम कटौती करने बारे :-

वाटरशेड विकास फंड (WDF) की मॉडल गाइडलाइन के तहत के पैरा 2.1 एवं WDC-PMKSY 2.0 के दिशा-निर्देशों के पैरा संख्या 26.1 के NRM व्यक्तिगत कार्यों के निष्पादन की स्थिति में सामान्य श्रेणी एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों से आवशयक तौर पर क्रमशः 10% एवं 5% की दर से शेयर की कटौती करने उपरान्त WDF खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत ब्रेही द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा Natural Resource Management श्रेणी के अंतर्गत राशि ₹340000 व्यक्तिगत कार्य करवाये गए परन्तु इन कार्यों के निष्पादन हेतु न तो उक्त कार्यक्रम की अन्य शर्तों की पूर्णता: अनुपालना की गई और न ही अपेक्षित शेयर की दर एवं श्रेणी अनुसार कटौती की गई बल्कि सबसे एक समान दर 2.5 % से कटौती की गई। इस कटौती की दर के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश, स्वीकृति पत्र,आदेश, नियम इत्यादि की प्रतिलिपि पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में की गई कटौती को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अपेक्षित दर से कम कटौती करने के कारण पंचायत को निम्न विवरणानुसार राशि ₹195000 की संभावित वित्तीय हानि हुई।

Individual Work	Name of Beneficiary	Category	Project Cost	Share deducted beneficiary	Share to be deducted
C/O Irrigation Tank patti Tilak Field	Tilak S/O Machlu	BPL/SC	200000	5000	10000
C/O Irrigation Tank At Pallei Puran Field	Puran S/O Laju	BPL/ST	200000	5000	10000
C/O Irrigation Tank Bharella Giyas Dev Field	Giyas Dev S/O Chanlu	BPL/Gen.	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank patti Nusanka Rumi Field	Rumi S/O Johari	BPL/Gen.	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Sanou Rattan Chnad Field	Rattan Chand S/O Methu	BPL/Gen.	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Sadoon Pritho Field	Pritho S/O Premu	BPL/Gen.	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Jagdeu Field	Jagdeu S/O Hans	BPL/GEN	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Kuchh Daleep Field	Daleep S/O Shri Dhar	BPL/Gen	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Gadiyada Safriya Field	Safriya S/O Ranjha	BPL/ST	200000	5000	10000
C/O Irrigation Tank Palsika Karam Chand Field	Karam S/O Ujal	BPL/Gen.	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Patti Sohan Lal Field	Sohan Lal S/O Chanlu	BPL/Gen.	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Pallei Man Singh Field	Man Singh S/O Chanlu	BPL/Gen.	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Khilku Field	Man Singh S/O Dharmu	BPL/ST	200000	5000	10000

C/O Irrigation Tank Sakral Hem Raj Field	Hem Raj S/O Rawan	BPL/Gen.	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Karuni Des Raj Field	Des Raj S/O Hari Singh	BPL/ST	200000	5000	10000
C/O Irrigation Tank Brehi Daleep Field	Daleep S/O Dharmu	APL/Gen.	200000	5000	20000
C/O Irrigation Tank Sakral Nanak Field	Nanak S/O Chamru	BPL/Sc	200000	5000	10000
			3400000	**85000**	**280000**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 16-03-2024 द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, IWMP के तहत व्यक्तिगत क्षेणी में करवाए गए कार्यों में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में केवल 2.5% की प्रति दर से ही कटौती की गई है इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कर्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अत: पंचायत द्वारा लाभार्थियों से अपेक्षित दर से कम दर के अनुसार कटौती को तथ्यों व अभिलेखों के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाये एवं इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा कम दर से कटौती करने के कारण हुए उक्त वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही WDF खाते में जमा करवा कर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.5 राशि ₹5.39 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत ब्रेही के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणनुसार कुल राशि ₹538536/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई

1. मस्टरोल पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर न करवाने बारे।

2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करने बारे।

3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक, कार्य का नाम, कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया गया।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनांक	राशि
1.14th FC 23-2022	कार्य:कंक्रीट एवं टाइल वर्क पंचायत घर	11130	12/ 27-06-22	97500
.2 15th FC 23-2022	कार्य : रास्ता निर्माण डुग मोड़ से लमडल	11143/ 11144	18 &19/ 01-04-22	176010
3. IWMP 2022-23	कार्य: कच्चा तालाब मतरेली	21138	57/ 03-05-21	51584
4.IWMP 2022-23	कार्य: चेक डैम बटनू नाला	21125/ 21265	22 & 23/ 24-05-22	213442
			कुल योग	**₹538536**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 15-03-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.6 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹14.02 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत ब्रेही के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "5")** राशि ₹1402288/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 15-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में सारे भुगतान प्रधान व सचिव के सयुंक हस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेंगे। अत: नियमों के विरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 राशि ₹14.02 लाख के क्रय सामान/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर इन्द्राज न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसकां यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत ब्रेही के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा (संलग्न **परिशिष्ट "5")** राशि **₹**1402288/- का सामान क्रय किया गया। परन्तु उसकी स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई है। जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है अपितु स्टॉक प्रविष्टि के अभाव में उक्त क्रय किये गए सामान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी एवं इसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 15-03-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ब्रेही द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, पंचायत में स्टॉक रजिस्टर का

संधारण नहीं किया गया है जिससे कि उक्त क्रय स्टोर/स्टॉक को इन्द्राज नहीं किया जा सका भविष्य में स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण कर लिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। चूँकि यह न केवल नियमाविरुद्ध है अपितु समय-समय पर क्रय स्टोर/स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न किया जाने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अतः नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ब्रेही के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। रोकड़ बहियों में अत्यधिक कटिंग, फ्लुडिंग (उदाहरण सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ 45-47,35-35,39 व 43) इत्यादि की गई थी। इसके अतिरिक्त रोकड़ बहियों के न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है और न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.6 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**	**टिप्पणी**
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत ब्रेही की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 16-03-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताएं की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 05.06.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2298-2302 का0 150 05 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 147/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 05.06.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में सन्दर्भित

Financial Position of GP Brehi for the Year 2021-2022 To 2022-2023

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	838364.54	341811.00	1180175.54	211471.00	968704.54
2022-23	968704.54	452082.00	1420786.54	310708.00	1110078.54

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	2418479.66	17511764.70	19930244.36	16565084.30	3365160.06
2022-23	3365160.06	22560173.47	25925333.53	23416658.27	2508675.26

3618753.80

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खंड मैहला में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत सात रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (1110078.54 + 2508675.26 = 3618753.80

	C/B as per Cash Books	3618753.80
	C/B as per Bank Passbook	3730257.70
Difference	(Less in Cash book	-111503.90

प्रेही

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Brehi Development Block Mehla Distt. Chamba for the Year 2021-2022

Month	OWN SOURCE	3rd State	General	MNREGA	WDF	IWMP	15FC	14th FC	SBM	BRGF	MID	RGSA	TOTAL
APRIL		71700.00	123089.00	291240.00	289.00	1940899.00	553506.00	5268.00	100677.00	2.00	128.00		**3086798.00**
MAY			250000.00	230366.00			173564.00		179700.00				**833630.00**
JUNE			10.00				290514.00			15.00			**290539.00**
JULY		65400.00	119798.00	3172472.00	294.00	177341.00	4998.00	4795.00	1164.00	1.00	130.00		**3546393.00**
AUGUST	2605.00		35777.00	398083.00		774597.00							**1211062.00**
SEPTEMBER	20279.00		155630.00	182496.00		1889193.00	260345.00			15.00		3120.00	**2511078.00**
OCTOBER		73200.00	46147.00	560859.00	299.00	104216.00	7529.00	4699.00	99683.00	1.00	132.00		**896765.00**
NOVEMBER	399.00		300000.00	316071.00			17.70						**616487.70**
DECEMBER	2576.00		10.00	984144.00		678302.00				15.00		9000.00	**1674047.00**
JANUARY	6619.00		5417.00	573587.00	301.00			4189.00	206.00	1.00	133.00		**590453.00**
FEBRUARY	**29681.00**	69300.00	70000.00	254968.00				153975.00					**577924.00**
MARCH	52.00		116301.00	766792.00		1126180.00	9059.00			15.00			**2018399.00**
TOTAL	**62211.00**	**279600.00**	**1222179.00**	**7731078.00**	**1183.00**	**6690728.00**	**1299532.70**	**172926.00**	**381430.00**	**65.00**	**523.00**	**12120.00**	**17853575.70**

Expenditure Statement of GP Brehi Development Block Mehla Distt. Chamba for the 2021-22

Month	OWN SOURCE	3rd State	General	MNREGA	WDF	IWMP	15FC	14th FC	SBM	BRGF	MID	RGSA	TOTAL
APRIL	7957.00	31800.00	108548.00	291240.00		1365127.00	184887.00	13505.00	8070.00				**2011134.00**
MAY			117743.00	230366.00		480964.00	249928.00	22550.00	44191.00			26250.00	**1171992.00**
JUNE		131680.00							280912.00			67472.00	**480064.00**
JULY			**35758.00**	**3172472.00**				**21992.00**				**60528.00**	**3290750.00**
AUGUST			148050.00	398083.00		255632.00		6800.00				25700.00	**834265.00**
SEPTEMBER			31687.60	182496.00		1584722.00				29.50			**1798935.10**
OCTOBER			228455.00	560859.00		838320.00			103938.00				**1731572.00**
NOVEMBER	1399.00		100006.00	316071.00				120100.00				81136.00	**618712.00**
DECEMBER	9000.00		23.60	984144.00		111021.00		135000.00					**1239188.60**
JANUARY			150750.00	573587.00		154487.00		48720.00		29.50		9000.00	**936573.50**
FEBRUARY				254968.00		74987.00		99437.00					**429392.00**
MARCH	8435.00	21200.00	195390.60	766792.00		1233130.00				29.50		9000.00	**2233977.10**
TOTAL	**26791.00**	**184680.00**	**1116411.80**	**7731078.00**		**6098390.00**	**434815.00**	**468104.00**	**437111.00**	**88.50**		**279086.00**	**16776555.30**

Ratu Ram
प्रधान

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Brehi Development Block Mehla Distt. Chamba for the Year 2022-2023

Month	OWN SOURCE	3rd State	General	MNREGA	WDF	IWMP	15FC	14th FC	SBM	BRGF	MID	RGSA	TOTAL
APRIL		69300.00	466787.00	557235.00	296.00	604797.00		3094.00	57.00	1.00	131.00	789.00	1702487.00
MAY				3966886.00		14795.00	150000.00						4131681.00
JUNE			10.00	1205734.00			181847.00			16.00			1387607.00
JULY			465062.00	671108.00	312.00	2845.00		2962.00	60.00		138.00		1142487.00
AUGUST	2310.00		39758.00	1000290.00		100000.00	180566.00		400000.00				1722924.00
SEPTEMBER	14432.00		209736.00	2016272.00	342198.47		9058.00			17.00			2591713.47
OCTOBER	**70840.00**		396709.00	765060.00			260345.00	965.00			141.00	404.00	1494464.00
NOVEMBER				1722657.00				3766.00					1726423.00
DECEMBER		164400.00	402699.00	876512.00	3986.00	674.00	270849.00	4597.00		17.00	142.00		1723876.00
JANUARY	35000.00		108400.00	2175201.00	85000.00		8820.00						2412421.00
FEBRUARY				127940.00					55.00				127995.00
MARCH		95800.00	86970.00	2070606.00	859.00		593927.00			15.00			2848177.00
TOTAL	**122582.00**	**329500.00**	**2176131.00**	**17155501.00**	**432651.47**	**723111.00**	**1655412.00**	**15384.00**	**400172.00**	**66.00**	**552.00**	**1193.00**	**23012255.47**

Expenditure Statement of GP Brehi Development Block Mehla Distt. Chamba for the Year 2022-2023

Munths	Own Source	3rd State	General	Manrega	WDF	IWMP	15FC	14th FC	SBM	BRGF	MID	RGSA	TOTAL
April		101580.00	340605.00	557235.00		389498.00	279001.00	7160.00	9244.48	25.00			1684348.48
MAY	**4498.00**		**123551.00**	**3966886.00**		**412597.00**							4507532.00
JUNE			43006.00	1205734.00		141012.00		177103.00		4.50			1566859.50
JULLY			26280.00	671108.00				190365.00					887753.00
AUGUST	18230.00	26500.00	148820.00	1000290.00		342198.00	353505.00	45267.00	400000.00				2334810.00
SEPTEMBER			556421.00	2016272.00			49895.00			29.50			2622617.50
OCTOBER			402636.00	765060.00			145710.00						1313406.00
NOVEMER		13700.00	72910.00	1722657.00				45589.00					1854856.00
DESEMBER		3500.00	410280.00	876512.00	343837.00	674.00				29.50			1634832.50
JANUARY	10000.00		137392.00	2175201.00			79410.00						2402003.00
FEBUARY		121900.00	58000.00	127940.00			19470.00						327310.00
MARCH	10800.00		123192.00	2070606.00			386396.00			44.29			2591038.29
TOTAL	**43528.00**	**267180.00**	**2443093.00**	**17155501.00**	**343837.00**	**1285979.00**	**1313387.00**	**465484.00**	**409244.48**	132.79			**23727366.27**

29

कार्यालय ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 01-04-2021 to 31-03-2023 को बैंक खातो में Opening व Closing Balance का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	50100312828580	HDFC Chamba	**1629716.30**
2.	14वां वित्तायोग	11910110063750	UCO Bank Gehra	**34528.63**
3.	SBM	11910110078785	UCO Bank Gehra	**112.35**
4.	IWMP	11910110041260	UCO Bank Gehra	**00**
5.	WDF	11910110078815	UCO Bank Gehra	**136803.14**
6.	BRGF	11910110017920	UCO Bank Gehra	**00**
7.		00000030878024666	SBI Mehla	**2341.25**
8.	Mid Himalaya	11910110051269	UCO Bank Gehra	**21770.00**
9.	General BASP /VKVNY/SDP/ MPLAD Etc.	11910110095423	UCO Bank Gehra	**711009.56**
10.		00000011753195434	SBI Mehla	**1554.08**
11.		11910100000066	UCO Bank Gehra	**53109.85**
12.	RGSA	20110103551	HPSCB Dharwala	**27278.00**
13.	Sabha Nidhi/ 3rd State	17910107062	HPSCB Chamba	**1112034.54**
			Cash in hand	**00**
			TOTAL	**3730257.7**

प्रमाणित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत ब्रेही, में दिनाक 31-03-2023 उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 13 तक वर्णित बैंक खाते ही खोले गए हैं इनके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अन्यत्र कोई भी खाता नहीं खुलवाया गया है।

1) IWMP A/c Closed Dated 31-12-2022

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Brehi for the Year to 2021-2022 To 2022-23

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2021-22	0.00	7731078.00	7731078.00	7731078.00	0.00
		2022-23	0.00	17155501.00	17155501.00	17155501.00	0.00
2	15TH FC	2021-22	351385.00	1299532.70	1650917.70	434815.00	1216102.70
		2022-23	1216102.70	1655412.00	2871514.70	1313387.00	1558127.70
3	14TH FC	2021-22	787617.17	172926.00	960543.17	468104.00	492439.17
		2022-23	492439.17	15384.00	507823.17	465484.00	42339.17
4	SBM	2021-22	64865.83	381430.00	446295.83	437111.00	9184.83
		2022-23	9184.83	400172.00	409356.83	409244.48	112.35
5	IWMP	2021-22	72830.27	6690728.00	6763558.27	6098390.00	665168.27
		2022-23	665168.27	723111.00	1388279.27	1285979.00	102300.27
6	RGSA	2021-22	293051.00	12120.00	305171.00	279086.00	26085.00
		2022-23	26085.00	1193.00	27278.00	0.00	27278.00
7	MPLAD/VKVNY/SDP/BASP/General	2021-22	778798.10	1222179.00	2000977.10	1116411.80	884565.30
		2022-23	884565.30	2176131.00	3060696.30	2443093.00	617603.30
8	Mid Himalaya	2021-22	20695.00	523.00	21218.00	0.00	21218.00
		2022-23	21218.00	552.00	21770.00	0.00	21770.00
9	BRGF	2021-22	2431.54	65.00	2496.54	88.50	2408.04
		2022-23	2408.04	66.00	2474.04	132.79	2341.25
10	WDF	2021-22	46805.75	1183.00	47988.75	0.00	47988.75
		2022-23	47988.75	432651.47	480640.22	343837.00	136803.22

Pradhan Ram
ब्रेही

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड चंबा,जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.14th FC	04/ 10-08-21	Computer Repair	-	M/S P.C. Solutions Chamba	16990	**Quotations**
2.14TH FC	06/ 07-09-21	PVC Sheet With Fitting Fan, wire, Panel etc.	140@750 =105000 - =15100	M/S Krishna Interiors VPO Sarol, Chamba	120100	**Tender**
3.14th FC	05/ 27-06-22	Tiles	65box@1500	M/S Jagat Ram Shakti Prasad VPO Sarol Chamba	97500	**Tender**
4.SBM	16/ 22-01-23	Bricks Angle	120@10.25 50kg@68	M/S Thakur Electrical Works Chamba	15700	**Quotations**
5.SDP	11/ 21-07-21	Door, Handle etc.	-	M/S Subhash Steel Fabrication ,VPO Dharwala,Chamba	7000	**Quotations**
6.ICDS CDS	23/ 21-10-21	Iron Door and window	-	M/S Surender Kumar VPO Mehla, Chamba	62200	**Tender**
7.SDP	27/ 15-09-22	Fabricated Bridge Steel	2134kg@139.65	M/S Gyami Enterprises VPO Parel, Chamba	298000	**Tender**
				Total	**617490**	

30

32

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 व 8.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BREHI FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE EXTRA PAYMENT OF GST

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST
1	M/S Suresh Kumar	14th FC	10,	Sand	3	4.80	15750	60	288.00	15000.00	750.00
	PO Brehi, Chamba		3/22/2022					60	0.00	0.00	0.00
2	M/S Suresh Kumar	14th FC	09 & 10	Aggre.	5.71	11.08	15988	100	1107.74	15226.67	761.33
	PO Brehi, Chamba		6/27/2022	Sand	5	8.00	26500	100	800.00	25238.10	1261.90
3	M/S Kishori Lal	15TH FC	09 to 12	Stone	67.5	151.20	133650	60	9072.00	127285.71	6364.29
	PO Brehi , Chamba		4/29/2021					60	0.00	0.00	0.00
4	M/S Suresh Kumar	15TH FC	02 to 06	Sand	6.02	9.63	31605	100	963.20	30100.00	1505.00
	PO Brehi, Chamba		4/22/2022	Aggre.				100	0.00	0.00	0.00
5	M/S Aman Kumar	15TH FC	08 to 12	Stone	82	183.68	180200	100	18368.00	171619.05	8580.95
	PO Brehi, Chamba		4/22/2022					80	0.00	0.00	0.00
6	M/S Aman Kumar	15TH FC	45 TO 49	Stone	48.6	108.86	106920	100	10886.40	101828.57	5091.43
	PO Brehi, Chamba		3/9/2023	Sand	2	3.20	10600	100	320.00	10095.24	504.76
7	M/S Aman Kumar	SBM	11 to 12	Stone	17.42	39.02	34840	60	2341.25	33180.95	1659.05
	PO Brehi, Chamba		4/16/2021					60	0.00	0.00	0.00
8	M/S Kishori Lal	SBM	15 & 16	Stone	47.21	105.75	93456	60	6345.02	89005.71	4450.29
	PO Brehi , Chamba		10/22/2021					60	0.00	0.00	0.00
9	M/S Suresh Kumar	SBM	04 & 05	Sand	5	8.00	26500	100	800.00	25238.10	1261.90
	PO Brehi, Chamba		1/2/2023	Aggre.	10.48	20.33	29300	100	2033.12	27904.76	1395.24
10	M/S Aman Kumar	SBM	06 & 11	Stone	30	67.20	66000	100	6720.00	62857.14	3142.86
	PO Brehi, Chamba		1/2/2023					60	0.00	0.00	0.00
11	M/S Suresh Kumar	SBM	08 & 09	Sand	5	8.00	26500	100	800.00	25238.10	1261.90
	PO Brehi, Chamba		1/2/2023	Aggre.	10.48	20.33	29300	100	2033.12	27904.76	1395.24
12	M/S Aman Kumar	IWMP	04 To 29	Stone	387.5	868.00	775000	60	52080.00	738095.24	36904.76
	PO Brehi, Chamba		4/28/2021					60	0.00	0.00	0.00
13	M/S Suresh Kumar	IWMP	64 to 73	Sand	30	48.00	136500	60	2880.00	130000.00	6500.00
	PO Brehi, Chamba		5/25/2021	Aggre.	29	56.26	80850	60	3375.60	77000.00	3850.00
14	M/S Aman Kumar	IWMP	76 to 79	Stone	50	112.00	100000	60	6720.00	95238.10	4761.90
	PO Brehi, Chamba		8/18/2021					60	0.00	0.00	0.00
15	M/S Aman Kumar	IWMP	94 to 105	Stone	136.5	305.76	273000	60	18345.60	260000.00	13000.00
	PO Brehi, Chamba		9/20/2021					60	0.00	0.00	0.00
16	M/S Aman Kumar	MGREGA	78,79,84	Stone	37.5	84.00	75000	60	5040.00	71428.57	3571.43
	PO Brehi, Chamba		9/26/2021					60	0.00	0.00	0.00
17	M/S Suresh Kumar	MGREGA	108-111	Sand	10.56	16.90	55440	60	1013.76	52800.00	2640.00
	PO Brehi, Chamba		11/18/2021	Aggre.	21.12	40.97	51744	60	2458.37	49280.00	2464.00
18	M/S Aman Kumar	MGREGA	120-123	Stone	157.75	353.36	315500	60	21201.60	300476.19	15023.81
	PO Brehi, Chamba		11/28/2021					60	0.00	0.00	0.00
19	M/S Aman Kumar	MGREGA	149-150	Stone	38	85.12	83600	100	8512.00	79619.05	3980.95
	PO Brehi, Chamba		10/22/2022					60	0.00	0.00	0.00
20	M/S Aman Kumar	MGREGA	152 & 153	Stone	29	64.96	63800	100	6496.00	60761.90	3038.10
	PO Brehi, Chamba		11/7/2022						0.00	0.00	0.00
21	M/S Aman Kumar	MGREGA	104 & 105	Stone	38	85.12	83600	100	8512.00	79619.05	3980.95
	PO Brehi, Chamba		10/5/2022						0.00	0.00	0.00
22	M/S Suresh Kumar	SDP	09 & 10	Sand	2.82	4.51	14805	60	270.72	14100.00	705.00
	PO Brehi, Chamba		7/21/2021	Aggre.	5.6	10.86	13818	60	651.84	13160.00	658.00
23	M/S Aman Kumar	SDP	11 & 12	Stone	44	98.56	96800	100	9856.00	92190.48	4609.52
	PO Brehi, Chamba		5/15/2022								
						TOTAL	3046566		210291.34	2901491.43	145074.57

older than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand **1.6**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mix **1.94**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^3) Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

31

परिशिष्ट – "5"

ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश_संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने बारे एवं स्टॉक प्रविष्टि न करना (पैरा संख्या 9.2 व 9.3 में संदर्भित)

Sr.No./ Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.14TH FC	06/ 07-09-21	PVC Sheet With Fitting Fan, wire, Panel etc.	140@750 =105000 - =15100	M/S Krishna Interiors VPO Sarol, Chamba	120100	Joint. Sign& Stock entry
2.14th FC	05/ 27-06-22	Tiles	65box@1500	M/S Jagat Ram Shakti Prasad VPO Sarol Chamba	97500	Joint. Sign& Stock entry
3.14TH FC	09&10/ 27-06-22	Sand Aggregate	5m3@5300 5.71m3@2800	M/S Suresh Kumar PO Brehi, Chamba	42488	Joint. Sign& Stock entry
5.IWMP	04 -29/ 28-04-21	Stone	387.5m3@2000	M/S Aman Kumar PO Brehi, Chamba	775000	Joint. Sign& Stock entry
6.SDP	11/ 21-07-21	Door, Handle etc.	-	M/S Subhash Steel Fabrication ,VPO Dharwala,Chamba	7000	Joint. Sign& Stock entry
7.ICDS CDS	23/ 21-10-21	Iron Door and window	-	M/S Surender Kumar VPO Mehla, Chamba	62200	Joint. Sign& Stock entry
8.SDP	27/ 15-09-22	Fabricated Bridge Steel	2134kg@139.65	M/S Gyami Enterprises VPO Parel, Chamba	298000	Joint. Sign& Stock entry
				TOTAL	1402288	

परिशिष्ट "6" पैरा 9.4 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत ब्रेही, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

IWMP के अंतर्गत करवाए गये व्यक्तिगत कार्यों का विवरण

Individual Work	Name of Person/ Beneficiary	Category	Project Cost	Share from beneficiary	NRM/NON NRM	Year of Work
C/O Irrigation Tank patti Tilak Field	Tilak S/O Machlu	BPL/SC	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank At Pallei Puran Field	Puran S/O Laju	BPL/ST	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Bharella Giyas Dev Field	Giyas Dev S/O Chanlu	BPL/Gen.	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank patti Nusanka Rumi Field	Rumi S/O Johari	BPL/Gen.	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Sanou Rattan Chnad Field	Rattan Chand S/O Methu	BPL/Gen.	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Sadoon Pritho Field	Pritho S/O Premu	BPL/Gen.	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Jagdeu Field	Jagdeu S/O Hans	BPL/GEN	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Kuchh	Daleep S/O Shri	BPL/Gen	200000	5000	NRM	2021-22

Daleep Field	Dhar					
C/O Irrigation Tank Gadiyada Safriya Field	Safriya S/O Ranjha	BPL/ST	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Palsika Karam Chand Field	Karam S/O Ujal	BPL/Gen.	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Patti Sohan Lal Field	Sohan Lal S/O Chanlu	BPL/Gen.	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Pallei Man Singh Field	Man Singh S/O Chanlu	BPL/Gen.	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Khilku Field	Man Singh S/O Dharmu	BPL/ST	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Sakral Hem Raj Field	Hem Raj S/O Rawan	BPL/Gen.	200000	5000	NRM	2021-22
C/O Irrigation Tank Karuni Des Raj Field	Des Raj S/O Hari Singh	BPL/ST	200000	5000	NRM	2022-23
C/O Irrigation Tank Brehi Daleep Field	Daleep S/O Dharmu	APL/Gen.	200000	5000	NRM	2022-23
C/O Irrigation Tank Sakral Nanak Field	Nanak S/O Chamru	BPL/Sc	200000	5000	NRM	2022-23
			3400000	85000		